

21-2-18 वकील उमयपक्ष उप० वास्ते साक्ष्य वादी पत्रावली दि० 9-3-18 को पेश हो।

(3)

9-3-18 वकील उमयपक्ष उप० वास्ते साक्ष्य वादी पत्रावली दि० 23-3-18 को पेश हो।

(3)

23-3-18 वकील उमयपक्ष उप० वकील वादी ने गवाह सुरजान के बयान कराकर अपनी साक्ष्य पूर्ण की वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी पत्रावली दि० 13-4-18 को पेश हो।

(3)

13-4-18 वकील उमयपक्ष उप० वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी पत्रावली दि० 4-5-18 को पेश हो।

(3)

4-5-18 वकील उमयपक्ष उप० पत्रावली दि० 1-6-18 को राजस्व लोक अदालत कैम्प खेडावाडरामगढ पर पेश हो। पक्षकारों को सूचित किया जावे।

(3)

1-6-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प खेडावाडरामगढ पर पेश हुई। सभी पक्षकारों के उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण में कार्यवाही नहीं हो सकी। अतः पत्रावली दि० 5-7-18 को न्यायालय में पेश हो।

(3)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

5-7-18 वकील वादी एवं स्वयं वादी उपस्थित नहीं हैं। वकील प्रतिवादी उप० हैं। कई बार आवाज दिलाई गई परन्तु वादी व उनके वकील उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः दवा वादी अदम दायरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलेशुमार देखर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(3)